

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के समक्ष।

डी. सी. शर्मा -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और अन्य - प्रतिवादी

सी0डब्ल्यू0पी संख्या 7051 सन 2012

7 जनवरी, 2013

पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 (पंजाब अधिनियम, 23) - हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा नियम, 2008 - याचिकाकर्ता जो प्रतिवादी बोर्ड से एसडीओ के रूप में सेवानिवृत्त हुए -याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति की बकाया राशि जारी करने के लिए निर्देश की मांग की और अपने कनिष्ठों को पदोन्नत किए जाने की तारीख से पदोन्नति का दावा किया - अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित होने के कारण सेवानिवृत्ति की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया - भले ही जांच रिपोर्ट सेवानिवृत्ति से 3 महीने से अधिक समय पहले प्रस्तुत की गई थी - यह अभिनिर्णीत किया गया कि सेवानिवृत्ति देय राशि के भुगतान में देरी के लिए कोई औचित्य नहीं - रिट याचिका की अनुमति दी गई।

यह अभिनिर्णीत किया गया कि गया कि उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार करते हुए, इस न्यायालय को यह नहीं लगता है कि याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति के बकाया के भुगतान में देरी करने के लिए उत्तरदाताओं के पास कोई उचित आधार था क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई जांच पर अंतिम निर्णय लेने के बाद उसकी सेवानिवृत्ति पर तुरंत भुगतान नहीं किया जा सकता था, जिसकी रिपोर्ट उसकी सेवानिवृत्ति से तीन महीने से अधिक समय पहले प्रस्तुत की गई थी लेकिन फिर भी मामला अंतिम निर्णय लेने के लिए लगभग एक वर्ष तक लंबित रखा गया। इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को छुट्टी नकदीकरण, पेंशन के कम्प्यूटेशन और ग्रेच्युटी की राशि पर 11 महीने की अवधि के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ब्याज की राशि की गणना की जाए और आज से दो महीने के भीतर याचिकाकर्ता को वितरित किया जाए।

(पैरा 7)

डी.आर. बंसल, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।

चांद राम ओला, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए वकील।

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल:

सी०एम० नंबर 17900 सन 2012:

1) सी०एम० को स्वीकृत किया जाता है। उत्तरदाताओं द्वारा दायर लिखित बयान की प्रतिकृति के साथ रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

सीडब्ल्यूपी संख्या 7051 सन 2012:

2) याचिकाकर्ता, जो 30 जून, 2011 को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (संक्षेप में 'बोर्ड') से उप-विभागीय अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, ने इस अदालत से संपर्क किया है और प्रतिवादियों को अपने सेवानिवृत्ति के बकाया का भुगतान करने और अपने कनिष्ठों को पदोन्नत किए जाने की तारीख से पदोन्नति का दावा करने का निर्देश देने की मांग की है।

3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि याचिकाकर्ता 30 जून, 2011 को सेवानिवृत्त हो गया, परंतु उसका छुट्टी नकदीकरण, पेंशन, पेंशन के कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी आदि सहित उसकी सेवानिवृत्ति की बकाया राशि का भुगतान बिना किसी वैध कारण के एक वर्ष से अधिक समय पश्चात किया गया था। उनकी सेवानिवृत्ति से पहले, याचिकाकर्ता को 01.02.2010 को एक आरोप पत्र जारी किया गया था, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा 16.03.2011 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप नहीं पाए गए थे। फिर भी, बोर्ड द्वारा कोई अंतिम कार्रवाई नहीं की गई, भले ही याचिकाकर्ता को 30 जून, 2011 को सेवा से सेवानिवृत्त होना था। सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद उन्हें सेवानिवृत्ति की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को केवल 16.03.2012 को रोक दिया गया था। इसके बाद भी, वर्तमान रिट याचिका दायर करने के बाद ही याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति की बकाया राशि का भुगतान किया गया था। अतः सेवानिवृत्ति बकाये के भुगतान में देरी के कारण, याचिकाकर्ता ब्याज के भुगतान का हकदार है।

4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता से कनिष्ठ कर्मचारियों की संख्या को 19.04.1991 से उप-विभागीय अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया गया था। वह बार-बार अभ्यावेदन देते रहे हैं। 16.09.2005 को ही याचिकाकर्ता को पदोन्नत किया गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता से कनिष्ठ व्यक्तियों को समय से पहले पदोन्नत किया गया था, याचिकाकर्ता भी उस तारीख से पदोन्नत होने का हकदार है।

5) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होने के कारण सेवानिवृत्त बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था। अनुशासनात्मक कार्यवाही में अंतिम

निर्णय लिए जाने के बाद याचिकाकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति पर देय राशि का भुगतान किया गया था। उन्होंने याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से पहले जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में विवाद नहीं किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने कनिष्ठों को पदोन्नत किए जाने की तारीख से उनकी पदोन्नति के बारे में उठाई गई शिकायत बहुत देर से की गई है, यह दावा करने की कोशिश कि है कि याचिकाकर्ता से जूनियर व्यक्तियों को 19.04.1991 को पदोन्नत किया गया था, लेकिन फिर भी याचिकाकर्ता ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। यद्यपि याचिकाकर्ता को 16-09-2005 को पदोन्नत किया गया था। उन्होंने पदोन्नति स्वीकार कर ली और कोई शिकायत नहीं की। याचिकाकर्ता को पहले ही सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी पदोन्नति के बारे में शिकायत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

6) पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना और पेपर बुक का अवलोकन किया।

7) जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा अपने सेवानिवृत्ति के बकाया पर ब्याज के भुगतान के संबंध में किए गए दावे का संबंध है, मेरी राय में, याचिकाकर्ता ने एक मामला बनाया है। याचिकाकर्ता को दिनांक 01-02-2010 को आरोप-पत्र जारी किया गया था। जांच अधिकारी की राय के साथ जांच रिपोर्ट 16.03.2011 को इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए थे। हालांकि याचिकाकर्ता 30 जून, 2011 को सेवानिवृत्त होने वाला था, लेकिन फिर भी जांच रिपोर्ट पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। याचिकाकर्ता सेवा से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन यह दलील देते हुए कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित थी, उनके सेवानिवृत्त बकाया का भुगतान नहीं किया गया। जांच रिपोर्ट पर निर्णय 16.03.2012 को लिया गया जब याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को छोड़ दिया गया। फिर भी, इसके तुरंत बाद सेवानिवृत्ति बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा 18.04.2012 को वर्तमान रिट याचिका दायर करने के बाद ही, जिसमें 19.04.2012 को 11.07.2012 के लिए प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था, कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति देय राशि का भुगतान जून और जुलाई 2012 में किया गया था।

8) उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को यह नहीं लगता है कि प्रतिवादियों के पास याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति बकाया के भुगतान में देरी करने का कोई उचित आधार था क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई जांच पर अंतिम निर्णय लेने के बाद उसकी सेवानिवृत्ति पर तुरंत भुगतान किया जा सकता था, जिसकी रिपोर्ट उसकी सेवानिवृत्ति से तीन महीने से अधिक समय पहले प्रस्तुत की गई थी लेकिन फिर भी मामले को अंतिम निर्णय लेने के लिए लगभग एक वर्ष तक लंबित रखा गया था। इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को छुट्टी नकदीकरण, पेंशन के कम्प्यूटेशन और ग्रेच्युटी की राशि पर 11 महीने की अवधि के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ब्याज की राशि की गणना की जाए और आज से दो महीने के भीतर याचिकाकर्ता को वितरित किया जाए।

9) जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा अपने कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख से पदोन्नति के संबंध में किए गए दावे का

संबंध है, उस पर केवल ध्यान दिया जाना चाहिए और देरी और कमी के कारण खारिज कर दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं स्थापित मामला यह है कि उसके जूनियर व्यक्तियों को वर्ष 1991 से पदोन्नत किया गया था, लेकिन फिर भी याचिकाकर्ता ने शिकायत करना उचित नहीं समझा। उन्हें 16.09.2005 को पदोन्नत किया गया था। उस समय भी, याचिकाकर्ता ने शिकायत नहीं की थी कि उसे उस तारीख से पदोन्नति दी जानी चाहिए थी जिस दिन से उसके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था। इसलिए याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्त होने के बाद इस तरह की याचिका लाने के लिए, देरी और कमी के कारण खारिज कर दिया जाना चाहिए।

10) तदनुसार आदेश दिया।

11) संक्षेप में, रिट याचिका का निस्तारण उत्तरदाताओं को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वे ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार सेवानिवृत्ति के भुगतान में देरी पर ब्याज का भुगतान करें।

एस. संधू

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

परीक्षित
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
महम, रोहतक, हरियाणा